Helpline 1064 | 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **अलवर में नगरपालिका थानागाजी का अधिशासी अधिकारी एवं उसका दलाल 2 लाख रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **कनिष्ठ अभियंता मौके से फरार, तलाश जारी**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *06 सितम्बर, मंगलवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर एस.यू.–द्वितीय, जयपुर इकाई द्वारा आज अलवर में कार्यवाही करते हुये अरूण शर्मा अधिशासी अधिकारी (ई.ओ.) नगरपालिका थानागाजी, जिला अलवर एवं उसके दलाल रमेश चंद सैनी (प्राईवेट व्यक्ति) को परिवादी से **2 लाख रूपये** की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की एस.यू.–द्वितीय, जयपुर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसकी फर्म द्वारा करवाये गये विभिन्न कार्यों के पूर्व में पास किये गये कुल 29 लाख रुपये के बिलों की कुल राशि के 14 प्रतिशत कमीशन के रूप में अरूण शर्मा अधिशासी अधिकारी (ई.ओ.) नगरपालिका थानागाजी, जिला अलवर, भोलाराम कनिष्ठ अभियंता, नगरपालिका थानागाजी द्वारा अपने दलाल रमेश चंद सैनी (प्राईवेट व्यक्ति) के माध्यम से **4 लाख 31 हजार रूपये** रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी जयपुर के उप महानिरीक्षक पुलिस **श्री सवाईसिंह गोदारा** के सुपरवीजन में एसीबी एस.यू.–द्वितीय, जयपुर इकाई के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक **श्री पुष्पेन्द्र सिंह राठौड़** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **उप अधीक्षक पुलिस श्री मांगीलाल, पुलिस निरीक्षक श्री शिवराज सिंह एवं पुलिस निरीक्षक श्री सुभाष मील** की टीमों द्वारा आज अलवर में ट्रेप कार्यवाही करते हुये दलाल रमेश चंद सैनी (प्राईवेट व्यक्ति) को परिवादी से **2 लाख रूपये** की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। आरोपी अरूण शर्मा अधिशासी अधिकारी (ई.ओ.) नगरपालिका थानागाजी, जिला अलवर को भी मौके से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी भोलाराम कनिष्ठ अभियंता, नगरपालिका थानागाजी एसीबी कार्यवाही की भनक लगने पर मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपियान से पूछताछ एवं आवास तथा अन्य ठिकानों पर तलाश जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.* 1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.* 94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।